मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 511 पदों पर होगी भर्ती

सूचना सहायक के 253 पद सृजित करने की प्रशासनिक स्वीकृति

भाषा/राजभाषा, जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लिपिक पदों पर भर्ती एवं नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मण्डी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 511 रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी प्रदान की है। साथ ही प्रदेशभर मण्डी समितियों में सूचना सहायक के 253 पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी दी है। राजस्थान कृषि उपज मण्डी, कृषि व्यवसाय एवं कृषि विपणन नीति, 2014, प्रदेशभर में सूचना सहायक सेवाओं एवं ई-मंडी जैसी योजनाओं के संचालन के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी की व्यवस्थाएं राज्य की समितियों की आवश्यकता है। इसे देखते हुए गहलोत ने कृषि उपज मण्डी समितियों में सूचना सहायकों के 253 पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके साथ ही कनिष्ठ लिपिक के 511 रिक्त पदों पर भर्ती होने से मण्डी समितियों में कार्य सम्पादन में आसानी होगी।

युवाओं को रोजगार की दिशा में मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण निर्णय

पदों के सृजन को मंजूरी

राजस्थान में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत) सृजित विशेष न्यायालय संख्या एक, जयपुर में अभियोजन पैरवी के लिए एक लिपिक पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मंजूरी के बाद विशेष निदेशक अभियोजन के दो, कनिष्ठ सहायक के दो तथा मंजूर की गयी अभियोजन के दो पद शामिल हैं। मंजूरी की गयी स्वीकृति की रिक्त पोस्टिंग/पदोन्नति के माध्यम से होगी। जहां पदों के सृजन से इन न्यायालयों में प्रकरणों के प्रभावी अभियोजन पैरवी में मदद मिलेगी।

कनिष्ठ सहायक के पांच पद स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने जैसलमेर, करौली, दूदू, बारां, बालोतरा एवं कोटपूतली में कनिष्ठ सहायक के पांच पद सृजन करने की स्वीकृति प्रदान की है।